SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

भारतीय महिलाओं की बदलती हुई सामाजिक प्रस्थितिः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

हवाई सिंह गोठवाल, समाजशास्त्र विभाग
राजकीय कन्या महाविद्यालय, गुड़ा, नीमकाथाना, राजस्थान, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
हवाई सिंह गोठवाल

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 27/04/2024
Revised on : -----
Accepted on : 29/06/2024
Overall Similarity : 08% on 21/06/2024

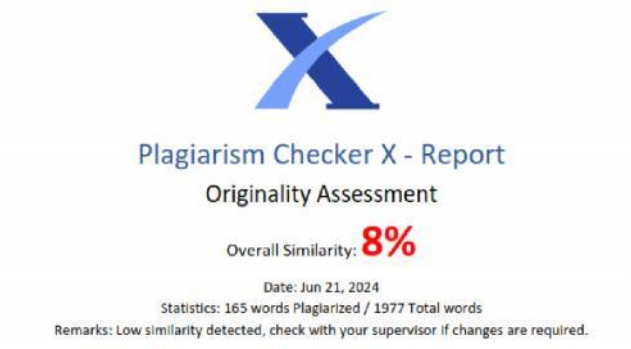

शोध सार

समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका प्रमुख है। महिलाओं की स्थिति में समय–समय पर देश काल के अनुसार परिवर्तन होता रहा है। वर्तमान भारतीय समाज में अनेक बदलाव हुए है जिनका महिलाओं की स्थिति में भी कई बदलाव आये है तथा गरीब महिलाओं पर इसका अधिक प्रभाव पड़ा, क्योंकि सैकड़ों वर्षों की परतन्त्रता की वजह से भारतवर्ष संसार के गरीब देशों में से एक है। भारतीय समाज की परम्परागत व्यवस्था में महिलायें आजीवन पिता, पति और पुत्र के संरक्षण में जीवन–यापन करती रही हैं। भारतीय संविधान में पुरूषों एवं महिलाओं को समाज दर्जा और अधिकार दिये जाने के बावजूद इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि विकास और सामाजिक स्तर की दृष्टि से महिलायें अभी पुरूषों से काफी पीछे हैं। भारतीय समाज में महिला आज भी कमजोर वर्गों में शामिल है। महिला परिवार की आधारशिला है और सामाजिक विकास बहुत कुछ उसी के सद्प्रयासों से सम्भव है। स्त्रियां ही संतति की परम्परा में मुख्य भूमिका निभाती हैं फिर भी प्राचीन समाज से लेकर आधुनिक कहे जाने वाले समाज तक स्त्रियां उपेक्षित ही रही हैं। उन्हें कम से कम सुविधाओं, अधिकारों और उन्नति के अवसरों में रखा जाता रहा है, इसी कारण महिलाओं की परिस्थिति अत्यन्त निचले स्तर पर है।

मुख्य शब्द

भारतीय समाज, सामाजिक समस्याएं, शिक्षा, महिला, विवाह, राजनीति.

प्रस्तावना

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारतीय स्त्रियों की स्थिति में अनेक तरह से बदलाव हुए है लेकिन फिर भी भारत के गॉव व नगरो के परिवारों में स्त्रियों की स्थिति अब भी

अधिक ठीक नहीं है। आज भी पर्दा प्रथा को सही मानते हैं और शिक्षा को स्त्रियों को बिगाड़ने वाली चीज मानते हैं। विवाह के सम्बन्ध में रूढ़िवादी परिवारों में अब भी लड़की की इच्छा या पसंद को जानने की आवश्यकता नहीं समझी जाती और लड़की विशेषकर वधू का घर से बाहर जाकर नौकरी करना अपनी शान के विरूद्ध मानते हैं तथा उनके सामाजिक मेल–मिलाप आदि पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाते हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

इस सामाजिक शोध पत्र का उद्देश्य निम्न है:

- महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक दशाओं का अध्ययन करना।
- भारतीय स्त्रियों की स्थिति में हुए सुधार या परिवर्तन के कारणों का अध्ययन करना।
- परिवार में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करना।
- महिलाओं की सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना।
- महिलाओं की शिक्षा के प्रति भूमिका का अध्ययन करना।

अध्ययन की आवश्यकता

समाजशास्त्र में प्रायः महिलाओं की शिक्षा सशक्तीकरण स्वतंत्रता तथा अधिकार पर विगत वर्षो से शोध कार्य संपन्न किये जा चुके हैं और वर्तमान में भी जारी हैं, लेकिन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति एवं सामाजिक समस्याओं से सम्बन्धित शोध कार्य कम ही है। प्रस्तुत शोध समाज में महिलाओं की स्थिति पर आधारित है। महिलाओं में अपने अधिकार के प्रति, शिक्षा के प्रति जागरूक करने से सम्बन्धित व्यवहार का एक सामाजिक चित्रण है।

शोध विधि व आंकड़ों का संग्रहण

भारतीय महिलाओं की बदलती हुई सामाजिक प्रस्थिति का विश्लेषण करने के लिए द्वितीयक आंकडों का संग्रहण किया गया है। आंकडों को विभिन्न पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं, समाचार पत्रों इन्टरनेट आदि से इकट्ठा किया गया है।

साहित्य समीक्षा

अनेक समाजशास्त्रियों, जनसंख्याविदों तथा शिक्षाविदों ने स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का अनुभवात्मक अध्ययन किया है तथा अपने विश्लेषण के द्वारा महिलाओं की सामाजिक, व्यवसायिक गतिशीलता तथा पुरूषों के समान शैक्षणिक व सामाजिक अधिकार, परिवार में निर्णय निर्धारक भूमिका तथा प्रदत्त परिस्थिति को नकार कर, अर्जित प्रास्थिति द्वारा अपनी क्षमता के नये आयामों को उद्घाटित करना, के सन्दर्भ में विभिन्न मत प्रस्तुत किये गये हैं।

माग्रेट कारमैक (1779) ने विश्वविद्यालय की 500 छात्राओं के अध्ययन के दौरान पाया कि लड़कियां कॉलेज जाना और लड़कों से मित्रता करना चाहती थीं लेकिन वे ये भी चाहती थीं कि उनका विवाह उनके माता–पिता तय करें। वे अपनी नव स्वतन्त्रता का भोग भी करना चाहती हैं लेकिन साथ ही साथ पुराने मूल्यों को भी बनाये रखना चाहती हैं।

मिश्र (1981) ने अपने अध्ययन के द्वारा यह बताने का प्रयास किया है कि जब तक सामाजिक–सांस्कृतिक बाधायें समाप्त नहीं होगी तब तक भारतीय महिलाओं का सर्वांगीण विकास सम्भव नहीं है। महिलाओं के प्रति पुरूषों की दृष्टि में परिवर्तन आवश्यक है।

गोविन्द केलकर (1981) ने अपने अध्ययन में पाया कि हरित क्रान्ति वाले क्षेत्र पंजाब में स्त्रियों को दिन–भर कामकाज के बाद पति की सेवा भी करनी पड़ती है। स्त्री द्वारा उलटकर जवाब देना, ठीक तरह से भेजन न परोसना या कभी–कभी पारिवारिक मामलों में बोलना उनका अपराध माना जाता है और इसके लिये उनकी पिटाई भी होती है।

मीनाक्षी मुखर्जी (1988) का मत है कि पुरूषो से स्वतन्त्र स्त्रियो की पहचान की अभिव्यक्ति वैचाारिक दृष्टि

से सम्भव है, परन्तु व्यवहारिक तौर पर नहीं। एक पुरूष की अपेक्षा एक स्त्री के लिये सामाजिक अनुपालन अधिक आवश्यक है।

महिलाओं की सामाजिक स्थिति

- **सामाजिक स्थिति में सुधारः** स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद स्त्रियों की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। उसमें सामाजिक चेतना की आज एक नई लहर देखने को मिलती है। जो स्त्रियाँ किसी समय घर के बाहर दूर, घर के दरवाजे या खिड़की में से बाहर झाँक भी नहीं सकती थीं, वही आज घर के बाहर जाकर नौकरी करती हैं, क्लब जाती हैं, और इसी तरह अनेक सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेती हैं। वे रूढ़िवादी विचारों से दूर होती जा रही हैं और नए तार्किक आदर्शों और मूल्यों को भी अपनाती जा रही हैं। पर्दा प्रथा प्रायः अब समाप्त हो गई है। समाज में भी अब उनको आदर की दृष्टि से देखा जाता है। संयुक्त परिवार में उनकी स्थिति परम्परागत स्थिति से कहीं अधिक अच्छी है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि सामाजिक क्षेत्र में वर्तमान भारत में स्त्रियों की स्थिति पहले से कहीं अधिक अच्छी है।
- **परिवार और विवाह के सम्बन्ध में उच्च स्थितिः** परिवार और विवाह के सम्बन्ध में आज भारतीय नारी की स्थिति कहीं अधिक उच्च है। सन् 1929 में 'बाल–विवाह अवरोध अधिनियम' (The Child Marriage Restraint Act, 1929) द्वारा बाल–विवाह का अन्त कर दिया गया है। पहले अधिनियम के अनुसार कोई भी माता–पिता लड़की का विवाह 15 वर्ष की आयु से पहले नहीं कर सकता। अब भारत सरकार ने इस न्यूनतम आयु को 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया है। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण परिषद् ने भी अपने एक सम्मेलन में इस न्यूनतम आयु को 19 वर्ष कर देने की सिफारिश की थी। 1961 के 'दहेज प्रतिबंध अधिनियम' (Dowry Prohibition Act, 1961) के द्वारा दहेज देना अपराध घोषित कर दिया गया है; परन्तु दुःख है कि इस सम्बन्ध में कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। इसी प्रकार सन् 1955 के हिन्दू–विवाह तथा विवाह–विच्छेद अधिनियम (Hindu Marriage and Divorce Act, 1955) और सन् 1954 के विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act, 1954) ने स्त्रियों को धार्मिक व अन्य सभी प्रकार के प्रतिबंधों को दूरकर विवाह करने की आज्ञा दे दी है। अब बहुपत्नी–विवाह गैर–कानूनी है। अन्तर्जातीय विवाह मान्य है, और स्त्रियों को विवाह–विच्छेद का पूर्ण अधिकार है। इसी कारण विधवा पुनर्विवाह भी आज कानूनी रूप से मान्य है। इन सभी कारणों से परिवारों में भी स्त्रियों की स्थिति काफी सुधरी है। वह अब दासी नहीं, बल्कि मित्र है; सास–ससुर की सेविका नहीं, बल्कि सम्माननीय वधू है। इस तरह यह स्पष्ट है कि विवाह और परिवार के क्षेत्र में स्त्रियों की स्थिति अपेक्षतया उच्च है।

महिलाओं की आर्थिक स्थिति

- **उच्च आर्थिक स्थितिः** आर्थिक दृष्टिकोण से आज स्त्रियों की स्थिति उच्च है। आज भारत के विभिन्न मुख्य धन्धों में नौकरी करने वाली स्त्रियों की संख्या 11 करोड़ से भी अधिक है। इतना ही नहीं, सन् 1956 के "हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम" (The Hindu Succession Act,1956) के द्वारा हिन्दू स्त्रियों को माता, पत्नी और पुत्री के रूप में पुरुषों के समान ही सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हो गए हैं, इन सब बातों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि निश्चय ही स्त्रियों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है।
- **शिक्षा के सम्बन्ध में सुधारः** स्त्रियों की शिक्षा के सम्बन्ध में भी वर्तमान समय में पर्याप्त सुधार हुए हैं। पहले बहुत ही कम स्त्रियाँ पढ़ी–लिखी होती थीं, परन्तु आज स्त्रियों में शिक्षा बढ़ रही हैं। सन् 1991 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक 1,000 स्त्रियों में केवल 392 स्त्रियाँ ही शिक्षित थीं। सन् 2001 की जनगणना से पता चलता है कि प्रत्येक 1,000 स्त्रियों में से 541 स्त्रियाँ पढ़ी–लिखी हैं। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक 1,000 स्त्रियों में से 655 स्त्रियाँ शिक्षित हैं। सरकार भी स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। स्त्रियों को निःशुल्क शिक्षा, प्राइवेट शिक्षा देने की सुविधा, छात्रवृत्तियाँ आदि देकर शिक्षा के विषय में प्रोत्साहित किया जा रहा है। अनेक राज्यों की सरकारों ने तो बारहवीं कक्षा तक लड़कियों की शिक्षा

निःशुल्क करके स्त्री–शिक्षा के विस्तार में सराहनीय योगदान दिया है। स्त्रियों की शिक्षा में सुधार का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि प्रतिवर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवाओ की परीक्षाओं में लड़कियाँ सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं और मेरिट में आ रही हैं।

- **राजनीतिक क्षेत्र में समानताः** स्वतन्त्रता से पूर्व तक सभी स्त्रियों को वोट (Vote) देने का अधिकार नहीं था; लेकिन आज पर्याप्त राजनीतिक चेतना आई है। आज स्त्रियाँ लोकसभा की सदस्या भी हैं, मंत्री भी हैं और राष्ट्रपति भी। भारत के प्रधानमंत्री के पद पर श्रीमती इंदिरा गाँधी एक महिला होते हुए लगभग 14 वर्ष तक आसीन रहीं। श्रीमती सोनिया गाँधी कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्षा हैं तथा श्रीमती प्रतिभा पाटिल देश की राष्ट्रपति हैं।

वर्तमान समय में भारतीय स्त्रियों की स्थिति में हुए सुधार या परिवर्तन

वर्तमान भारत में स्त्रियों की स्थिति में सुधार या परिवर्तन हुए हैं, उनके कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं–

- **स्त्रियों में शिक्षा का विस्तारः** अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद धीरे–धीरे स्त्रियों में शिक्षा का विस्तार होना प्रारम्भ हुआ। स्वतन्त्रता के बाद केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने भी इस सम्बन्ध में अनेक प्रयत्न किए। शिक्षा के विस्तार के साथ–साथ स्त्रियों में परम्परागत अंधविश्वास तथा संकीर्ण मनोभाव दूर होते गए और वे अपने अधिकारों के सम्बन्ध में जागरूक हुई ।
- **सुधार आन्दोलन व राष्ट्रीय आन्दोलनः** विभिन्न समयों पर हुए सुधार व राष्ट्रीय आन्दोलनों ने भी स्त्रियों की स्थिति को सुधारने में पर्याप्त योगदान दिया। गाँधीजी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन में स्त्रियों ने कन्धे से कन्धा मिलाकर भाग लिया, अंग्रेजों के अत्याचार सहे और जेल गई। इससे स्त्रियों में एक नई चेतना, एक नई जागृति और आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो आगे चलकर उनकी स्थिति को नए साँचे में ढालने में सहायक सिद्ध हुआ ।
- **सरकारी सुविधाएँः** भारत में स्त्रियों की स्थिति को सुधारने में सरकारी प्रयासों का भी पर्याप्त योगदान रहा। 59,500 कामकाजी महिलाओं के लिए अब तक 841 हॉस्टल बनाए गए हैं। 2 अक्टूबर, 1993 से महिला समृद्धि योजना ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों के माध्यम से चलाई जा रही है। अब तक लगभग 8 लाख प्रौढ़ महिलाओं व लड़कियों को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। महिला विकास निगम राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना क्रमशः 1986–87 व 1992–93 में की गई। इतना ही नहीं, एक राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन श्रीमती जयन्ती पटनायक की अध्यक्षता में 31 जनवरी, 1992 को किया गया था। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा व अधिकार से सम्बन्धित कानूनों को ठीक से लागू करना हैं।

निष्कर्ष

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारतीय स्त्रियों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है लेकिन इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि भारतीय गाँवों और नगरों के भी अनेक रूढ़िवादी परिवारों में स्त्रियों की स्थिति अब भी अधिक अच्छी नहीं है। वे अब भी पर्दा–प्रथा को उचित समझते हैं और शिक्षा को स्त्रियों को बिगाड़ने वाली चीज मानते हैं। विवाह के सम्बन्ध में रूढ़िवादी परिवारों में अब भी लड़की की इच्छा या पसंद को जानने की आवश्यकता नहीं समझी जाती और लड़की विशेषकर वधू का घर से बाहर जाकर नौकरी करना अपनी शान के खिलाफ मानते हैं तथा उनके सामाजिक मेल–मिलाप आदि पर अनेक प्रतिबंध लगाते हैं। सरकार ने महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कुछ विशेष कानून बनाए हैं। इनमें समान वेतन अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम, फौजदारी कानून व भारतीय साक्ष्य अधिनियम, प्रसूति लाभ अधिनियम, वेश्यावृत्ति (निवारण) अधिनियम आदि शामिल हैं। इतना ही नहीं भारत सरकार द्वारा ''विशेष विवाह अधिनियम, 1954'' एवं ''हिन्दू–विवाह तथा विवाह–विच्छेद अधिनियम, 1995'' में व्यापक संशोधन किए गए हैं।

कामकाजी महिलाओं को चूंकि घर बाहर दोनों जगह भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है फलस्वरूप उन पर कार्य का बोझ तो बढ़ता ही है साथ ही कार्य स्थल पर एवं परिवार दोनों ही स्थान पर उनका कार्य प्रभावित भी होता

है। दोहरी भूमिका इनके थकान का कारण भी है। अधिकांश महिलाओं के पास परिवार में मदद के लिए कोई सदस्य ना होने के कारण उन्हें घरेलू नौकरानियों की आवश्यकता होती है। कार्यस्थल में यौन शोषण, लिंग विभेदीकरण एवं असुरक्षा जैसी समस्याओं से ये महिलाएं जूझती है। अधिकांश महिलाओं के नौकरी करने का कारण आर्थिक विवशता है किन्तु अनेक महिलाएं आर्थिक स्वतन्त्रता एवं अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए भी नौकरी करती है।

संदर्भ सूची

1. केलकर, गोविन्द (1881) *इम्पैक्ट आफ ग्रीन रिवोल्यूशन आन वीमेन्स वर्क पार्टीसिपेशन एण्ड सैक्स,* सेन्टर फॉर पोलिसी रिसर्च, नई दिल्ली, पृ. 152।
2. कुमार, नृपेन्द्र (1982) *पाटीसीपेशम ऑफ वूमेन इनसोसाटी,* एशिया पब्लिकेशन हाउस, मुंबई, पृ. 9।
3. श्रीवास्तव, सुधीर (1985) *वूमेन इमपावरमेंट,* टाटा मैग्रोहिल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 87।
4. माथुर, दीपा (1992) *वूमेन फैमिली एंड वर्क,* रावत पब्लिकेशन जयपुर, पृ. 138।
5. सिंह, सोरन (1997) *सिडियूल कास्ट इन इंडिया एंड डाईमेन्शन ऑफ सोशल चेज,* ज्ञान पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 182।
6. मिश्रा स्वेता (1997) पंचायती राज संस्थाओं मे महिलाओं की सहभागिता, ग्रामीण विकास न्यूज लेटर 1–31 जुलाई, पृ.सं. 7।
7. आहुजा, राम (1999) *भारतीय सामाजिक व्यवस्था,* रावत प्रकाशन, जयपुर, पृ. 186।
8. सक्सेना, किरण (2001) *''विमेन्स एण्ड पॉलिटिक्स''* ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृ. 34।
9. आहुजा, राम (2002) *भारतीय समाज,* रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ. 321।
10. व्यास, मीनाक्षी (2002) *मिडिल एंड लोअर क्लास वर्किंग वूमेन,* सीम्या पब्लिकेशन, मुंबई, पृ. 25।
11. सिंहा, मधुक्षी (2002) सर्वागीण ग्रामीण विकास में महिलाओ की भूमिका–एक सामाजिक अध्ययन, *कुरूक्षेत्र* ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, वालयुम 7 इश्यु 1–2 पृ. 156।
12. सिंह, दिनेश कुमार (2002) *रूरल वूमेन इकोनोमिक एण्ड पॉलिटिकल पारटिसिपेश,* विवेकानन्द एजुकेशन रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट सोसायटी, आगरा, पृ. 87।
13. सिंह, राम समुझ (2019) भारतीय समाज मे महिलाओं की स्थिति एवं सामाजिक समस्याएँ एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, *क्वेस्ट जर्नल्स,* नई दिल्ली पृ. 65।

****